अध्याय 17
एटीएस सुरक्षा प्रबंधन

15.1 सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली

सुरक्षा के प्रबंधन के लिए औपचारिक व्यवस्थित प्रक्रियाओं और प्रथाओं को आम तौर पर सामूहिक रूप से सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के रूप में संदर्भित किया जाता है।

15.2 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सुरक्षा नीति

एटीएस सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली तैयार करने में पहले कदम के रूप में, निम्नलिखित घटकों के रूप में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सुरक्षा नीति को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया है:

नोट: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड ने 27 जनवरी, 2004 को आयोजित अपनी 74वीं बैठक के दौरान भा.वि.प्रा. की इस सुरक्षा नीति को मंजूरी दे दी है।

15.2.1 विमान का सुरक्षित दिक्चालन

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हवाई यातायात सेवा प्रणालियों के भीतर सुरक्षा का उच्चतम उचित मानक प्रदान करेगा जिसकी योजना, प्रदान और संचालन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले उन जोखिमों की पहचान करके और उन्हें कम करके करता है जो विमान दुर्घटनाओं में योगदान कर सकते हैं।

15.2.2 सुरक्षा की प्राथमिकता

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अपनी सभी गतिविधियों के दौरान हवाई यातायात सेवा प्रणाली की सुरक्षा को सबसे महत्वपूर्ण विचार के रूप में मानेगा।

15.2.3 प्रबंधन की जिम्मेदारी

सुरक्षा एक कुशल और प्रभावी हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली के प्रावधान का एक अभिन्न अंग है। सभी संबंधित अधिकारी जिम्मेदारी के अपने क्षेत्रों में प्रदर्शन के लिए जवाबदेह हैं।

15.2.4 स्पष्ट सुरक्षा मानकों को अपनाना

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण स्पष्ट सुरक्षा मानकों को अपनाना जारी रखेगा जो वैधानिक दायित्वों और महानिदेशक नागर विमानन की सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं।

15.2.5 सुरक्षा संस्कृति

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच एक संस्कृति विकसित करेगा जो अपनी सभी गतिविधियों में सुरक्षा के महत्व और प्रत्येक व्यक्ति की परिणामी जिम्मेदारी की बढ़ती समझ को बढ़ावा देगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक वातावरण, सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

15.2.6 प्रणाली

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली और प्रौद्योगिकी, चाहे आंतरिक रूप से विकसित की गई हो या बाहर से खरीदी गई हो, निर्दिष्ट और उपयुक्त प्रणाली को पूरा करती है।

15.3 एटीएस सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के उद्देश्य

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित हवाईक्षेत्र और एयरोड्रोम के भीतर एटीएस के प्रावधानों के लिए लागू सुरक्षा उद्देश्यों को औपचारिक रूप से निम्नानुसार स्थापित किया गया है:

(1) सुनिश्चित करें कि हवाई क्षेत्र के भीतर या हवाई अड्डे पर एटीएस के प्रावधान के लिए लागू सुरक्षा के स्थापित स्तर को पूरा किया जाता है।

(2) सुनिश्चित करें कि जब भी आवश्यक हो सुरक्षा संबंधी संवर्द्धन लागू किए जाते हैं।

(3) सुनिश्चित करें कि एटीएम में संतोषजनक सुरक्षा की उपलब्धि को व्यावसायिक, पर्यावरणीय और सामाजिक दबावों पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) सुनिश्चित करें कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सुरक्षा नीति, संगठनात्मक उत्तरदायित्वों और स्थितिगत उत्तरदायित्वों को उसके कर्मचारियों द्वारा समझा जाए जब भी उनकी गतिविधियों से सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है।

(5) सुनिश्चित करें कि एटीएम संचालन में सुरक्षा निहितार्थ और सुरक्षा खतरों का आकलन करने के लिए और उन खतरों को कम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई निर्धारित करने के लिए और समय-समय पर उस कार्रवाई के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

(6) किसी भी अस्वीकार्य खतरों को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा प्रणाली, उपकरण या प्रक्रियाओं में किसी भी बदलाव में सुरक्षा खतरों को नियंत्रित और प्रबंधित करना परिवर्तन पूरा होने तक समाप्त हो जाता है।

(7) सुनिश्चित करें कि ऐसी प्रक्रियाएं मौजूद हैं जो कर्मियों को प्रदान करती हैं जो पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित, प्रेरित और उनके लिए आवश्यक कार्यों को करने में सक्षम हैं, इसके अलावा यदि आवश्यक हो तो उचित मूल्यांकन किया जा सकता है और आवधिक आधार पर उनकी निरंतर क्षमता की निगरानी की जा सकती है।

(8) सुनिश्चित करें कि निरंतर आधार पर हवाई यातायात सेवाओं, वैमानिकी दूरसंचार सेवाओं और वैमानिकी रेडियो दिक्चालन सुविधाओं के संचालन के सुरक्षित और प्रभावी प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

(9) सुनिश्चित करें कि सेवा का उपयोग करने वालों पर किसी भी असामान्य ऑपरेशन के प्रभाव को कम करने के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं और असामान्य ऑपरेशन की रिपोर्ट और रिकॉर्ड करें, जिससे घटना के बाद समीक्षा के लिए एक तंत्र प्रदान किया जा सके।

(10) सुनिश्चित करें कि उस जानकारी के उपयोगकर्ताओं को वैमानिकी जानकारी की सटीक प्रस्तुति देने के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं और जब उन्हें इसकी आवश्यकता हो।

(11) प्रचालन अग्निशमन कार्यों में कार्मिकों के प्रवेश का नियंत्रण सुनिश्चित करना और उन कार्मिकों की निरंतर क्षमता की समय-समय पर निगरानी करना और समर्थन करना।

(12) एटीएस संदेशों की रिकॉर्डिंग के लिए आईसीएओ मानकों का अनुपालन और निरंतर आधार पर रिकॉर्डिंग तक पहुंच।

(13) सुनिश्चित करें कि ऐसी प्रक्रियाएं मौजूद हैं जो निरंतर आधार पर सुरक्षित दिक्चालन के लिए सुविधाओं के प्रावधान का आश्वासन देती हैं।

नोट: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड ने 27 जनवरी, 2004 को आयोजित अपनी 74वीं बैठक के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के उपर्युक्त सुरक्षा उद्देश्यों को मंजूरी दे दी है।